न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010007192025

Civil Revision/15/2025
Rajeev kumar Vs. Bihari Ashram Trust
सिविल रिवीजन संख्या 15 सन 2025

राजीव गर्ग निवासी गाँधी गंज हापुड , जिला हापुड़। –रिवीजनकर्ता / तृतीय पक्ष

बनाम

बिहारी आश्रम (ट्रस्ट) द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी अजय गोयल पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश उम्र लगभग 62 वर्ष पता बिहारी आश्रम गढ़ रोड हापुड़, जनपद हापुड़। – रेस्पोडेन्ट/वादी

निर्णय

प्रश्नगत सिविल रिवीजन, रिवीजनकर्ता /तृतीय पक्ष द्वारा विद्वान अवर न्यायालय/लघुवाद न्यायाधीश /सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा लघुवाद सं० 1/2019. बिहारी आश्रम बनाम मुनीश गर्ग में रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र कागज सं० 27ग पर पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिसके द्वारा रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र कागज सं० 30ग खण्डित किया गया है ।

2. प्रश्नगत रिवीजन में आलोच्य निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के विरूद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये तथा विवेचना रहित सारगर्भित त्रुटि से परिपूर्ण एवं अपने में निहित न्यायिक शक्तियों का उचित प्रकार से प्रयोग किये बिना तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है । लघुवाद में प्रार्थना पत्र 27ग पर दिनांक 30.5.2024 को बहस सुनी गयी तथा बहस सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 27ग के निस्तारण से पूर्व अमीन की रिपोर्ट मंगायी जानी उचित समझी और तदानुसार आदेश पारित किये और जिसके अनुपालन में अमीन ने मौके का मुआयना करके दिनांक 16.10.2024 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जैसा कि पत्रावली से

Digitally signed by
GYANENDER
SINGH YADAV
Date: 2026.07.31
14:48:20 IST
Reason: judgement
Location: District and
Sessions Court

सुस्पष्ट है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 30ग की सुनवाई के लिये तिथि नियत की और अन्ततोगत्वा दिनांक 03.12.2024 को प्रार्थना पत्र 27ग की सुनवाई के लिये 23.12.2024 तिथि नियत की। इस तिथि पर प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही हुई । दिनांक 23.12.2024 को विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र 27ग पर किसी प्रकार की बहस नहीं सुनी बल्कि पूर्व में सुनी गयी बहस के आधार पर पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को ही आदेश के लिये पेश हुयी मान ली, जबकि प्रार्थना पत्र 27ग पर लगभग 6 माह पूर्व बहस हुयी थी और मान्य न्यायालय ने स्वयं ही प्रार्थना पत्र 27ग के निस्तारण के लिये अमीन की रिपोर्ट मंगानी उचित समझी और जो मॅगायी भी गयी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.2024 को पक्षकारों की बहस प्रार्थना पत्र 27ग पर सुनी जानी चाहिए थी और जो सुनी ही नही गयी और अमीन द्वारा मंगायी गयी रिपोर्ट के जिस तथ्य को न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 27ग के निस्तारण के समय देखा जाना था, उसका भी कोई जिक्र आदेश में नहीं किया गया तथा बहस को सुने बिना ही प्रार्थना पत्र 27ग पर आदेश पारित कर दिये गये जो विधि विधान के विरूद्ध है। यद्यपि रिविजनकर्ता द्वारा उक्त आदेश को रिकॉल कराने हेतू प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त रिविजकर्ता/तृतीय पक्ष द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि वह वाद में उचित एवं आवश्यक पक्षकार है तथा उसी आधार पर प्रार्थना पत्र दिया गया था तथा इस सम्बन्ध में न्यायालय में विधि व्यवस्थाये 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 व 2023 (1) पी०एन०पी० 717 भी प्रस्तुत की गयी थी किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त विधि व्यवस्था का किसी भी प्रकार का कोई जिक्र अपने आदेश में नहीं किया। विधि व्यवस्था 2023 (1) पी०एन०पी० 717 में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी :–''लघुवाद न्यायालय का वाद हक का विवाद्यक लघुवाद न्यायालय के हक में वादग्रस्त विवाद्यक की आनुषंगिक रूप में लघुवाद न्यायालय वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय के द्वारा जॉच की जा सकती है।''

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि लघुवाद न्यायालय को स्वामित्व का प्रश्न पैदा होने पर उसकी जॉच करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त वैधानिक तथ्य को पूर्ण रूप से नजरअन्दाज कर दिया तथा अंकित किया कि न्यायालय को केवल यह निर्धारण करना है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भवनस्वामी एवं किरायेदार का सम्बन्ध है या नहीं, न कि यह निर्धारित करना है कि प्रस्तुत याद में विवादित सम्पत्ति का स्वामी कौन है। तदानुसार विचारण न्यायालय ने इस आधार पर कि स्वामित्व सिद्ध करने का क्षेत्राधिकार इरा न्यायालय को प्राप्त नहीं है तथा रिविजनकर्ता / तृतीय पक्ष उपरोक्त के सन्दर्भ में वाद योजित कर सकता है, अंकित करके रिविजनकर्ता का प्रार्थना पत्र 27ग खण्डित कर दिया। विचारण

न्यायालय का उक्त आदेश विधि विधान के विरूद्ध है, क्योकि लघुवाद में यदि स्वामित्व का प्रश्न पैदा होता है और ऐसे प्रश्न के विषय में किसी तृतीय पक्ष द्वारा पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो ऐसे प्रार्थना पत्र के आधार पर तृतीय पक्ष को पक्षकार बनाकर स्वामित्व का प्रश्न तथ करने का क्षेत्राधिकार लघुवाद न्यायालय को है और इससे वाद की बहुलता भी बचती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का उपरोक्त आदेश वैधानिक बिन्दू को नजरअन्दाज करके पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के विरूद्ध मनमाने ढंग से पारित किया गया है रिविजनकर्ता द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र 27ग प्रत्येक स्थिति में स्वीकार किये जाने योग्य था किन्तु उसे बिना किसी उचित आधार के अस्वीकार करके अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी न्यायिक क्षमता का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया है तथा क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय पारित किया। उक्त आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय /लघुवाद न्यायधीश /सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा लघुवाद सं० 1/2019. बिहारी आश्रम बनाम मुनीश गर्ग में रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र कागज सं० 27ग पर पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 अपास्त करने की याचना की गयी है ।

3. प्रश्नगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट /विपक्षीगण की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय के आदेश दि0 02.07.2026 द्वारा कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की जा चुकी है । रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को मेरिट पर सुना । पत्रावली का अवलोकन किया।

4. उपरोक्त प्रकरण में अब इस न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दि0 23.12.2024 में दिये गये निष्कर्ष एवं आदेश की शुद्धता , वैधता एवं औचित्य पर विचार करना है ।

5. सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान अवर न्यायालय/लघुवाद न्यायधीश/सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा लघुवाद सं० 1/2019. बिहारी आश्रम बनाम मुनीश गर्ग में रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र कागज सं० 30ग पर पारित आदेश दि0 23.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिसके द्वारा रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र कागज सं० 30ग खण्डित किया गया है ।

न्याय का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी के निस्तारण के समय सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है । निगरानी न्यायालय को केवल अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में की गयी अविधिकता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि देखनी होती है ।

6. पत्रावली के अवलोकन यह प्रकट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश के माध्यम से रिविजनकर्ता/तृतीय पक्ष का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र कागज सं० 27ग खण्डित किया गया है । पत्रावली पर संलग्न अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश व अवर न्यायालय की पत्रावली के आदेशपत्र की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि दि0 06.07.2024 के आदेशपत्र पर यह अंकित है कि –'' पत्रावली पेश । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र 27ग के निस्तारण किए जाने से पूर्व अमीन आख्या मंगाया जाना आवश्यक है । न्यायालय अमीन को परवाना जारी हो । आवेदक पैरवी अन्दर 3 दिवस करे । पत्रावली वास्ते अमीन आख्या दि0 12.07.2024 को पेश हो । '' फिर पत्रावली निरन्तर वास्ते अमीन आख्या नियत चलती रही ।

तत्पश्चात आदेशपत्र के हाशिये पर दि0 16.10.2024 के साथ यह अंकित है कि – '' अमीन आख्या प्राप्त । संलग्न ।'' फिर पत्रावली निरन्तर वास्ते सुनवाई नियत होती रही ।

दि0 03.12.2024 के आदेशपत्र पर यह अंकित है कि –'' पत्रावली पेश । उभयपक्ष उपस्थित । 27ग निस्तारण हेतु दि0 23.12.2024 को पेश हो ।''

दि0 23.12.2024 के आदेशपत्र पर यह अंकित है कि –'' पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र 27ग पेश हुई । उभयपक्ष व तृतीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 27ग व आपत्ति कागज सं0 32ग पर पूर्व में सुना जा चुका है । तदोपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है । ''

उपरोक्त से रिवीजनकर्ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रार्थनापत्र 27ग के निस्तारण से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए रिवीजनकर्ता/तृतीय पक्षकार को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र 30ग पर सुनवाई करने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय को प्रार्थनापत्र 30ग का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था ।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है,जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत मामले के तथ्यों के प्रकाश में अविधिक रूप से पारित किया गया है । विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः रिवीजनकर्ता/तृतीय पक्षकार का रिवीजन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

रिवीजनकर्ता/ तृतीय पक्षकार का रिवीजन स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अवर न्यायालय / लघुवाद न्यायाधीश /सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ द्वारा लघुवाद सं० 1/2019. बिहारी आश्रम बनाम मुनीश गर्ग में रिविजनकर्ता /तृतीय पक्ष के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र कागज सं० 27ग पर पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय/लघुवाद न्यायाधीश /सिविल जज (सी०डि०) प्रथम हापुड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रिवीजन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रिवीजनकर्ता/तृतीय पक्षकार को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र 27ग पर सुनवाई करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत स्पष्ट आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये । उभयपक्ष अवर न्यायालय के समक्ष दि0 14.08.2026 को उपस्थित हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांकः 31.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 31.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।